

**आकार पत्र ख०पु०- 1**  
**कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती ।**

दिनांक 22, दिसम्बर, 2020 ।

सं० / भूलेख-सात

**आदेश**

उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं आशुतोष निरंजन जिलाधिकारी बस्ती, कार्यालय आदेश सं० 189/सात - भूलेख दिनांक 23 जून 2020 द्वारा प्रकाशित सूची में निम्नलिखित 05 राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु सम्मिलित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करता हूँ -

**प्रकाशित सूची में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों का विवरण**

क्रम सं०	तहसील का नाम	परगना का नाम	राजस्व ग्राम खतौनी का नाम	राजस्व ग्राम खतौनी कोड	फसली वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	बस्ती सदर	महुली पश्चिम	टेंगरिहा राजा	181480	1422-27
2	बस्ती सदर	महुली पश्चिम	कुम्हिया मिश्रौलिया	180916	1425-30
3	बस्ती सदर	महुली पश्चिम	चकिया	181546	1426-31
4	बस्ती सदर	महुली पश्चिम	अमरडोभा	181026	1426-31
5	बस्ती सदर	नगर पूरब	भेलवल	181125	1426-31

(आशुतोष निरंजन)  
जिलाधिकारी  
बस्ती

सं० 1162 / भूलेख-सात तददिनांक ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. आयुक्त एवं सचिव, मा० राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-5, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त ग्राम को अंश निर्धारण सूची में सम्मिलित कराने का कष्ट करें।
2. आयुक्त बस्ती, मण्डल बस्ती।
3. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार बस्ती सदर।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बस्ती को उक्त अधिसूचना की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इसे जनपद की वेबसाइट पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना अधिकारी बस्ती को इस आशय से कि उक्त का प्रचार प्रसार हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी  
बस्ती